

राजस्थान सरकार  
आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग

क्रमांक एफ 1(1) आ0प्र0एवंसहा/सामान्य/2018/

जयपुर, दिनांक ५.7.2018

10488-504


जिला कलक्टर,  
अजमेर, बाड़मेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़,  
चूरू, श्रीगंगानगर, जैसलमेर, जालोर,  
झालावाड़, जोधपुर, करौली, कोटा, नागौर,  
पाली, राजसमन्द, टोंक, उदयपुर, राजस्थान।

विषय:- फसल खरीफ एवं रबी सम्वत् 2073 में 2 हैक्टर अधिक  
(OSMF) भूमि धारिता वाले पात्र काश्तकारों को कृषि आदान  
अनुदान उपलब्ध कराने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है फसल खरीफ एवं रबी सम्वत् 2073 में सूखे एवं ओलावृष्टि से फसलों की गिरदावरी रिपोर्ट प्रपत्र 7डी में 33 प्रतिशत से 49.99 प्रतिशत खराबा वाले दो हैक्टर से अधिक भूमि धारिता वाले अन्य (OSMF) काश्तकारों को कृषि आदान अनुदान दिये जाने के संबंध में निर्णय लिया गया है। अतः विभागीय दिशा निर्देश क्रमांक 10276-92 दिनांक 15.9.2017 एवं 11463-72 दिनांक 18.10.2018 की पूर्ण पालना सुनिश्चित करते हुए उक्त श्रेणी के प्रभावित काश्तकारों को आप द्वारा विभाग को गिरदावरी रिपोर्ट 7डी के साथ प्रपत्र 1,2,3,4,5 में प्रेषित संख्या के अनुसार पात्र काश्तकारों को केवल ट्रेजरी के पै-मेनेजर के माध्यम से सीधे प्रभावितों के बैंक खातों में ही भुगतान किया जावे। भारत सरकार के एसडीआरएफ नोर्म्स के अनुसार कृषि आदान अनुदान सहायता का वितरण कराने हेतु प्रभावित काश्तकारों की निर्धारित प्रारूप में सूची के साथ ऑन लाईन बजट मांग दिनांक 16.7.2018 तक भिजवाने का श्रम करावे।

भवदीय

  
शासन उप सचिव